



Neutral Citation No. – 2026:AHC:167867

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 27930 वर्ष 2026

वीरपाल

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्तागण : अम्बरीन मसूर, सदरुल इस्लाम जाफरी, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या – 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. अधिवक्ता श्री शुभम कुशवाहा ने प्रस्तुत किया कि आज उन्होंने इस न्यायालय के कार्यालय में सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, इसलिए उनका नाम वाद सूची में प्रदर्शित नहीं हो सका।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता सुश्री उमरा की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन.आई. जाफरी, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम कुशवाहा तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।

3. वर्तमान आवेदन, वाद अपराध संख्या 48 वर्ष 2026, धारा 191(2), 115(2), 103(1) बी.एन.एस., थाना राया, जनपद मथुरा में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में सात अन्य व्यक्तियों के साथ नामजद है और आरोप के अनुसार, पूर्व में दिनांक 15.02.2026 को दोपहर 2:30 बजे आवेदक ने सह-अभियुक्त राजवीर, विष्णु एवं नन्हे के साथ मिलकर सूचनादाता के पुत्र रोहित को पीटा और उसके बाद उन्होंने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उस पर हमला किया, जिसके कारण उसे चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई, किंतु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए संपूर्ण आरोप पूर्णतः झूठे हैं।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन के अनुसार कुल छह व्यक्तियों ने मृतक पर हमला किया, किंतु मृतक को केवल एक फटी हुई चोट आई थी, इसलिए यह अत्यधिक आरोपित किए जाने का मामला प्रतीत होता है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयानों से यह स्पष्ट है कि आवेदक सहित सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि पूर्व में आवेदक का मृतक के साथ कुछ विवाद हुआ था, इसलिए बाद में जब मृतक पर हमला हुआ और उसे किसी अन्य तरीके से एक ही फटी हुई चोट आई, तब आवेदक एवं अन्य व्यक्तियों

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को वर्तमान मामले में अभियुक्त बना दिया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक ने मृतक पर कभी हमला नहीं किया।

8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई अन्य पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह लगभग पिछले छह माह से जेल में निरुद्ध है।

9. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्य व्यक्तियों के साथ नामजद है और पूर्व में भी उसने मृतक के साथ मारपीट की थी तथा उसके बाद उसने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर पुनः हमला किया, जिसके कारण मृतक को चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। किंतु वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि कुल छह अभियुक्तों में से सभी को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है और मृतक को केवल एक फटी हुई चोट आई थी।

10. वे इस तथ्य का भी खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह लगभग पिछले छह माह से जेल में निरुद्ध है।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

12. तथापि, आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है और आरोप के अनुसार उसने छह अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर हमला किया, जिसके कारण मृतक को चोटें आई और उसकी मृत्यु हो गई, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को केवल एक फटी हुई चोट आई थी और इसलिए प्रथम दृष्टया यह अत्यधिक आरोपित किए जाने का मामला प्रतीत होता है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि सभी छह अभियुक्तों के विरुद्ध केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. आगे, यह भी परिलक्षित होता है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ विवाद लंबित था और घटना वाले दिन भी, अर्थात् घटना की तारीख को, दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था।
14. उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि चूंकि उसी दिन पूर्व में दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था, इसलिए जब मृतक को किसी प्रकार फटी हुई चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई, तब केवल पूर्व विवाद के कारण आवेदक को भी अन्य लोगों के साथ वर्तमान मामले में आरोपित किया गया हो, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
15. आगे, वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह लगभग पिछले छह माह से जेल में निरुद्ध है।
16. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
17. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
18. आवेदक-**वीरपाल** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
- (i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

19. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

20. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”